



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272482  
CG-DL-E-12052026-272482

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 319]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

सा.का.नि. 353(अ).— केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (य ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2017 को, विधिक अधिकारी, ज्येष्ठ निजी सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, लेखा और वित्त अधिकारी, निजी सचिव और सहायक पद के सिवाय उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक कानूनी निकाय, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल में वैज्ञानिक और तकनीकी पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), वैज्ञानिक और तकनीकी पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "नियंत्रण प्राधिकारी" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (ख) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ग) "स्कीम" से पुनरीक्षित लचीली संपूरक स्कीम अर्थात कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तारीख 13 मार्च, 2024 को कार्यालय ज्ञापन एबी-14017/41/2013-पीपी(आरआर) जारी किए गए है।
- (घ) "वैज्ञानिक पद" से स्कीम में परिभाषित किए गए पद अभिप्रेत है।

3. वेतन मैट्रिक्स में नाम, पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर. – (1) पदों के नाम और संख्या, उनके वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर संलग्न के रूप में निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाएगा: –

क्रम सं	पदों का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैज्ञानिक 'एफ'	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	08 (2026) * * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क (131100-216600 रुपये)
2.	वैज्ञानिक 'ई'		11 (2026)* * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13(123100-215900 रुपये)।
3.	वैज्ञानिक 'डी'		30 (2026)* * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये)
4.	वैज्ञानिक 'सी'		77 (2026)* * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रुपये)।
5.	वैज्ञानिक 'बी'		120 (2026)* * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।	वेतन मैट्रिक्स स्तर में स्तर 10 ( 56100-177500 रुपये)।

टिप्पण - प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों को पहले फीडर ग्रेड में वैज्ञानिकों से भरा जाएगा जिनकी स्कीम के अधीन अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए सिफारिश की गई है। यदि स्कीम के अधीन अगली ग्रेड में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए संस्तुत वैज्ञानिकों की संख्या प्रोन्नति ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो उस सीमा तक पदों की संख्या को शर्त के अध्याधीन स्वतः प्रोन्नति ग्रेड में अपग्रेड कर दिया जाए परंतु सभी ग्रेडों की संयुक्त स्वीकृत संख्या समान रहेगी। नौकरी छोड़कर जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियां सामान्यतः संबंधित वैज्ञानिक अथवा तकनीकी श्रेणी, यानी वैज्ञानिक 'बी' के प्रवेश स्तर के ग्रेड पर ही रहेगी। तथापि, कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इनमें से कुछ रिक्तियों को समग्र स्वीकृत संख्या के भीतर व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की उच्चतर अहर्ता और कौशल के साथ रिक्ति के स्तर और अनुरूप के आधार पर प्रवेश स्तर से ऊपर के पदों के लिए इन नियमों में विहित भर्ती पद्धति द्वारा भरा जा सकेगा।

4. भर्ती की विधि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, अहर्ता और उससे संबंधित अन्य मामले निम्नानुसार होंगे-

- (1). वैज्ञानिकों 'बी' से 'जी' के पद चयन पद होंगे।
  - (2). प्रत्येक पद के लिए भर्ती की विधि या वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' के प्रत्येक मामले के लिए भर्ती की पद्धति की विधि नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी।
  - (3). वैज्ञानिक 'बी' के पदों के लिए भर्ती या तो सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी, जिसमें इन नियमों की अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के अधीन अल्पकालिक अनुबंध/आमेलन यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।
  - (4). वैज्ञानिक 'सी', 'डी' और 'ई' के पदों के लिए भर्ती स्कीम के अधीन नियमों की अनुसूची-1 और अनुसूची-2 यथा विनिर्दिष्ट प्रोन्नति या उन्नयन या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/अनुसूची 1 में आमेलन द्वारा की जाएगी।
  - (5) वैज्ञानिक 'एफ' के पद के लिए भर्ती स्कीम के अधीन इन नियमों की अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट आमेलन या उन्नयन या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा की जाएगी।
  - (6) वैज्ञानिक 'जी' के पद पर भर्ती स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन द्वारा की जाएगी।
  - (7) वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी' की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी प्रभारी मंत्री होगा।
  - (8) वेतन मैट्रिक्स (144200- 218200 रुपये) या उससे अधिक के स्तर-14 में वेतन वाले पद पर नियुक्ति या प्रोन्नति की दशा में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन अनिवार्य है।
  - (9) प्रत्येक पद के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता और अनुभव का क्षेत्र, (i) वैज्ञानिक 'बी' के पद पर सीधी भर्ती के प्रत्येक मामले में और (ii) वैज्ञानिक 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' के पदों पर सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित) के प्रत्येक मामले में विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। परंतु किसी विशेष विषय में वैज्ञानिक की आगे अपेक्षा इन नियमों की अनुसूची-4 में उल्लिखित विषयों की सूची से चयनित किया जाएगा।
  - (10) भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार पुनः नियोजन के आधार पर की जा सकेगी।
5. प्रोन्नति या उन्नयन - (1) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' ग्रेड में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन स्कीम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के रूप में होगा।
- (2). वैज्ञानिक 'जी' तथा वैज्ञानिक 'सी' के ग्रेड में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन नीचे इंगित न्यूनतम कार्य निष्पादन अवधि और स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अनुसरण में होगा।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पद	कार्य निष्पादन से संबंधित न्यूनतम सेवा अवधि
स्तर-10	वैज्ञानिक 'बी'	शून्य
स्तर-11	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'बी' के रूप में तीन वर्ष
स्तर-12	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'सी' के रूप में चार वर्ष
स्तर-13	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'डी' के रूप में चार वर्ष
स्तर-13ए	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'ई' के रूप में पांच वर्ष
स्तर-14	वैज्ञानिक 'जी'	वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में पांच वर्ष

- (3). स्कीम के अधीन निर्धारण के दो स्तर होंगे, अर्थात् स्तर-1 स्क्रीनिंग (आंतरिक स्क्रीनिंग समिति) और स्तर-2 स्क्रीनिंग (निर्धारण बोर्ड या विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति), जैसा कि तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- (4). निर्धारण एक वर्ष में दो बार किया जाएगा और उन वैज्ञानिकों के मामले जिन्होंने निर्धारण की कट-ऑफ तारीखों यथास्थिति अर्थात् 1 जनवरी या 1 जुलाई, के अनुसार न्यूनतम कार्य-निष्पादन अवधि पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, और अर्जित किया है या वार्षिक 1 की संख्या अर्जित करेंगे निर्धारण की कट ऑफ तारीखों से पहले की अवधि के लिए न्यूनतम कार्य-निष्पादन अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर या उससे अधिक प्रदर्शन निर्धारण रिपोर्ट पर स्कीम के अधीन निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।
- (5). जो वैज्ञानिक स्तर-1 स्क्रीनिंग अथवा स्तर-2 स्क्रीनिंग में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनका निर्धारण केवल एक वर्ष के पश्चात् किया जाएगा, जब उन्हें कम से कम एक और वार्षिक निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट तथा वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्राप्त होगी और ऐसे पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनः स्तर-1 और स्तर-2 की जांच की जाएगी और यह उस चरण से शुरू नहीं होगी जहां वैज्ञानिक अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे।
- (6). अगली ग्रेड में प्रोन्नति अथवा उन्नयन के लिए स्कीम के अंतर्गत निर्धारण प्रक्रिया केवल तीन बार आयोजित की जाएगी और तत्पश्चात् वैज्ञानिकों को यथा लागू संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन सम्मिलित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम द्वारा स्कीम में किए गए उपबंध के अनुसार अगली कक्षा के लिए विचार किया जा सकेगा।
- (7). प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा की अवधि को स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए नहीं गिना जाएगा। विशेष रूप से प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों को स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें केवल संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम के अधीन उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।
- (8). स्कीम के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए सिफारिश किए गए वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन सक्षम प्राधिकारी ने प्रोन्नति या उन्नयन को मंजूरी दी थी। संगठन के बाहर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को उनके मूल काडर में पुन सम्मिलित होने या लौटने की तारीख से ही प्रोन्नति या उन्नयन दिया जाएगा।
- (9). कोई पूर्वव्यापी प्रोन्नति या उन्नयन नहीं होगा।
- (10). अनुसंधान और विकास में फील्ड अनुभव या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव, वैज्ञानिक 'एफ' के लिए प्रोन्नति या उन्नयन के लिए कम से कम दो वर्ष और वैज्ञानिक 'जी' के लिए प्रोन्नति या उन्नयन के लिए पांच वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा।
- (11). छुट्टी की अवधि, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा आदि पर बिताए गए समय का न्यूनतम निवास अवधि की गणना के लिए उपचार स्कीम में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (12). इन नियमों में उल्लिखित कुछ भी स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित नहीं होगा।
6. वार्षिक कार्यनिष्पादन और निर्धारण रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट - वैज्ञानिक वार्षिक कार्य रिपोर्ट और वार्षिक कार्यनिष्पादन निर्धारण रिपोर्ट को वार्षिक आधार पर अनिवार्य रूप से स्कीम में प्रदान किए गए प्ररूप में भरा जाएगा।
7. परिवीक्षा अवधि- (1) सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'बी' और 'सी' श्रेणी में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष और सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'डी', 'ई' और 'एफ' के ग्रेड में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए एक वर्ष होगी:

परंतु नियंत्रक प्राधिकारी इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा:

परंतु परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई भी निर्णय पिछले परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर सामान्य रूप से लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ (जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा) संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

- (2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, वैज्ञानिक को यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी की गई नियुक्ति में रखा जाएगा और इसकी उपलब्ध मूल रिक्तियों के विरुद्ध पुष्टि की जाएगी।
- (3) परिवीक्षा अवधि अथवा उसके किसी विस्तार के दौरान, यथास्थिति, यदि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि कोई वैज्ञानिक स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार वैज्ञानिक को सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर सेवामुक्त या प्रत्यावतत कर सकेगी, जैसा भी उपयुक्त हो।
- (4) परिवीक्षा अवधि के दौरान, या उसके किसी विस्तार के दौरान, सरकार द्वारा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण और निर्देशों के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना और परीक्षाओं और परीक्षणों (हिंदी में परीक्षा सहित) को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा हो सकेगी, जैसा कि सरकार परिवीक्षा के संतोषजनक समापन की शर्त के रूप में उचित समझे।
- (5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा के सदस्यों को इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।

8. पुष्टीकरण.- सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिक पदों की पुष्टि विभागीय संपुष्टि समिति की संस्तुति पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी: -

क. महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल:- अध्यक्ष।

ख. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इसके संगठन के दो वैज्ञानिक 'जी': - सदस्य।

ग. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, प्रमुख (कार्मिक प्रभाग)- सदस्य।

9. निहर्ता - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. भारत और बाहर सेवा करने के लिए अधिकारियों की देयता. - (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी भारत में और बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण से गुजरने के लिए उत्तरदायी होंगे और भारत या विदेश में शिक्षा के पाठ्यक्रमों के संबंध में विस्तृत रूप से सूचित होंगे जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिश्चय कर सकेगी और प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत अधिकारी, जिसकी अवधि छह माह या उससे अधिक है या भारत के बाहर या भारत में निजी फर्मों

या कारखानों के साथ प्रशिक्षण के लिए विस्तृत अधिकारी, प्रशिक्षण की अवधि पर विचार किए बिना, प्रशिक्षण की पूरी लागत में वापसी के लिए उत्तरदायी होगा, यदि, किसी भी कारण से, प्रशिक्षण के दौरान, या इस तरह के प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर, वह अपनी सेवा को बंद करने का विकल्प का चयन करता है।

11. प्रशिक्षण: - सीधी भर्ती के आधार पर इन नियमों के अधीन नियुक्त एक अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा और किसी भी अधिकारी को इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किए बिना अपनी परिवीक्षा अवधि के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।

12. शिथिल करने की शक्ति -जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, इसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, उपबंध करना अपेक्षित है।

14. सेवा की अन्य शर्तें: - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन दल के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें जिसके लिए कोई विशिष्ट उपबंध उपबंधित नहीं किया गया है, को ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की समान श्रेणी या स्तर पर लागू होंगे।

## अनुसूची I [नियम 4(2) और नियम 4(4) देखें]

क. सीधी भर्ती

(I) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(क) आवश्यक:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 के खंड (क) में निर्दिष्ट भौतिक विज्ञान या गणितीय विज्ञान या कम्प्यूटेशनल और सूचना विज्ञान या समकक्ष में मास्टर डिग्री;

या

इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री (न्यूनतम चार वर्ष की डिग्री पाठ्यक्रम) या जैसा कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट है;

(ख) वांछनीय:

अनुसूची 4 के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री।

(II) अनुभव:

क्रम सं	पद का नाम	भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	.....
2.	वैज्ञानिक 'सी'	औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में अनुसंधान और विकास में चार वर्षों का अनुभव।
3.	वैज्ञानिक 'डी'	औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में अनुसंधान और विकास में आठ वर्षों का अनुभव।
4.	वैज्ञानिक 'ई'	औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में अनुसंधान और विकास में बारह वर्षों का अनुभव।
5.	वैज्ञानिक 'एफ'	I. औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों या दोनों में अनुसंधान और विकास में अठारह वर्षों का अनुभव। II. विज्ञान की किसी भी शाखा के अधीन प्रमुख कार्यक्रमों को विकसित करने, प्रबंधित करने और निर्देशित करने का पांच वर्षों का अनुभव। III. उच्च स्तर का प्रकाशित शोध कार्य।

टिप्पण- न्यूनतम आवश्यक अर्हता प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि को अनुभव में नहीं गिना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (शैक्षणिक योग्यता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणन द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी करने के अधीन और अधिकतम दो

वर्ष की अवधि के अधीन, अनुभव में गिनी जाएगी। यदि डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं गिनी जाएगी। तथापि, पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) या डॉक्टरेट की डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई समान अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के मामलों में अनुभव केवल नियोजन अवधि के लिए गिना जाएगा डॉक्टरेट की डिग्री के लिए नहीं।

(III) आयु सीमा – पद की प्रत्येक श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी: –

क्रम सं	पद का नाम	अधिकतम आयु- सीमा से अधिक नहीं
(1)	(2)	(3)
(i)	वैज्ञानिक 'बी'	30 वर्ष
(ii)	वैज्ञानिक 'सी'	35 वर्ष
(iii)	वैज्ञानिक 'डी'	40 वर्ष
(iv)	वैज्ञानिक 'ई'	45 वर्ष
(v)	वैज्ञानिक 'एफ'	50 वर्ष:

परंतु -

(i) कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल में पहले से ही नियमित आधार पर कार्यरत वैज्ञानिकों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार में समय-समय पर विद्यमान नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष वैज्ञानिक क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभवी उम्मीदवारों के मामले में सभी श्रेणियों के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी;

(iii) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)।

आ. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) / आमेलन - प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन के माध्यम से नियुक्ति के मामले में, जिन पदों से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन किया जाना है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या या भारत या विदेशों में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे:

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित रूप से सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) विशिष्ट पद के समक्ष उल्लिखित नियमित आधार पर पद पर अपेक्षित अनुभव रखते हो: -

क्रम सं	पद का नाम	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुसंगत अनुभव
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'सी'	तीन वर्ष 'वर्तमान कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपये) या समतुल्य में स्तर-10 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात की गई सेवा।

2.	वैज्ञानिक 'डी'	वर्तमान कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में स्तर -11 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात की गई चार वर्ष की सेवा।
3.	वैज्ञानिक 'ई'	वर्तमान कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में स्तर -12 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात की गई चार वर्ष की सेवा।
4.	वैज्ञानिक 'एफ'	वर्तमान कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (118500-214100 रुपये) या समतुल्य में स्तर -13 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा।

(iii) इस अनुसूची के खंड क (1 और 4) में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अहर्ता और अनुभव होना;

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विस्तारित की जा सकेगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो स्कीम के अधीन इन-सीटू प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे, सिवाय उस पूर्व-कैडर पद के जिसके लिए वे फीडर ग्रेड अधिकारी नहीं हैं, और इसी तरह प्रतिनियुक्तिकर्ता लचीली संपूरक स्कीम या प्रचलित किसी अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक नीति के अधीन इन-सीटू प्रोन्नति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

## अनुसूची 2

स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया (सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन के लिए)

अ. स्क्रीनिंग समिति - सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी (अल्पकालिक संविदा सहित) में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जिन्हें सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा और जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का प्राधिकार सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होगा और केवल जांच किए गए उम्मीदवार ही भर्ती के अगले स्तर के लिए पात्र होंगे।

आ. विभागीय चयन समिति - सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए विभागीय चयन समिति और इसकी संरचना निम्नानुसार होगी:

(i) वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर भर्ती के लिए:

(i)	वैज्ञानिक-एच या समतुल्य, भर्ती और निर्धारण केन्द्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन या किसी वैज्ञानिक विश्वविद्यालय से।	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित डोमेन में उद्योग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम से वैज्ञानिक 'जी' या समतुल्य अधिकारी	सदस्य
(iii)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या संबंधित क्षेत्र के किसी वैज्ञानिक/तकनीकी विश्वविद्यालय से शैक्षणिक संस्थान का प्रतिनिधि, जो वेतन मैट्रिक्स (₹144200-218200) के स्तर-14 से कम न हो।	सदस्य
(iv)	अन्य सरकारी वैज्ञानिक विभाग से साइंटिस्ट 'जी' स्तर या समतुल्य स्तर का एक सदस्य।	सदस्य
(v)	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा उसके संगठनों से वैज्ञानिक 'जी' स्तर या समतुल्य स्तर का एक सदस्य।	सदस्य

(ii) वैज्ञानिक 'बी', वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी' और वैज्ञानिक 'ई' के पद पर भर्ती के लिए:

(i)	वैज्ञानिक-जी या समकक्ष, भर्ती और निर्धारण केन्द्रीय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन या किसी वैज्ञानिक विश्वविद्यालय से।	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित डोमेन में उद्योग या सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम से वैज्ञानिक 'जी' या समतुल्य	सदस्य
(iii)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या संबंधित क्षेत्र के किसी वैज्ञानिक/तकनीकी विश्वविद्यालय से शैक्षणिक संस्थान का प्रतिनिधि, जो वेतन मैट्रिक्स (₹144200-218200) के स्तर-14 से कम न हो।	सदस्य
(iv)	अन्य सरकारी वैज्ञानिक विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' स्तर या समतुल्य स्तर का एक सदस्य।	सदस्य
(v)	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा उसके संगठनों से वैज्ञानिक 'एफ' स्तर या समतुल्य स्तर का एक सदस्य।	सदस्य

## अनुसूची 3

[नियम 5(3) देखें]

स्कीम के अधीन निर्धारण प्रक्रिया:

## 1. स्तर-1 स्क्रीनिंग समिति:-

1.1 आंतरिक जांच समिति की संरचना (वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'डी' के पदों पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु): -

1.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से एक ज्येष्ठ वैज्ञानिक जिसका वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रुपये) में स्तर -14 से कम न हो।	अध्यक्ष
2.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा उसके संगठनों से, वे वैज्ञानिक जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13ए या उससे ऊपर (1,31,100-2,16,600 रुपये) के हों।	सदस्य
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग या अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से वेतन मैट्रिक्स (131100-216600 रुपये) में स्तर -13ए से नीचे का वैज्ञानिक न हो।	सदस्य

1.2 आंतरिक जांच समिति की संरचना (वैज्ञानिक 'ई' और वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने के लिए

1.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा उसके संगठनों से वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (144200-218200 रुपये) या उससे ऊपर के स्तर का एक अधिकारी।	अध्यक्ष
2.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से (144200-218200 रुपये) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -14 या उससे ऊपर का अधिकारी।	सदस्य
3.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या परमाणु ऊर्जा विभाग या अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रुपये) में स्तर -14 या उससे ऊपर का एक वैज्ञानिक।	सदस्य

1.3 आंतरिक जांच समिति की संरचना (वैज्ञानिक 'जी' के पद पर प्रोन्नति पर विचार करने हेतु)

1.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठनों से वेतन मैट्रिक्स (182200-224100 रुपये) में स्तर-15 या उससे ऊपर का अधिकारी।	अध्यक्ष
2.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उसके संगठन वेतन मैट्रिक्स (182200-224100 रुपये) में स्तर-15 या उससे ऊपर का एक अधिकारी	सदस्य
3.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या परमाणु ऊर्जा विभाग या अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से वेतन मैट्रिक्स (182200-224100 रुपये) में स्तर-15 या उससे ऊपर का एक वैज्ञानिक	सदस्य

टिप्पण 1: उपरोक्त अध्यक्ष और सदस्य को सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण 2: अध्यक्ष और सदस्यों को उस पद से एक स्तर ऊपर होना चाहिए जिस पर उन्नयन या प्रोन्नति की जानी है।

## 2 स्तर-2 स्क्रीनिंग:

2.1 निर्धारण बोर्ड की संरचना (असाधारण मेधावी श्रेणी के अधीन वैज्ञानिक 'ई' तक वैज्ञानिक 'सी' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने के लिए):

1.	वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों से, जो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उसके संगठनों के बाहर हों, वे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स (1,44,200–2,18,200 रुपये) के स्तर-14 से कम स्तर के न हों।	अध्यक्ष
2.	तीन बाहरी विशेषज्ञ।	सदस्य

टिप्पण 1: उपरोक्त सदस्य उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नत या उन्नयन किया जाना है।

टिप्पण 2: निर्धारण बोर्ड की कार्यवाही से किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति उक्त बोर्ड की सिफारिशों को अमान्य नहीं करेगी।

टिप्पण 3: निर्धारण बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन होगा।

2.2 विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति के लिए संरचना (स्कीम के अधीन वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु):

1.	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उसके संगठनों से, वे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स (1,82,200–2,24,100 रुपये) के स्तर-15 से कम स्तर के न हों।	अध्यक्ष
2.	दो अधिकारी, जो वेतन मैट्रिक्स (1,44,200–2,18,200 रुपये) के स्तर-14 से कम स्तर के न हों और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बाहर के वैज्ञानिक मंत्रालयों से हों।	सदस्य
3.	संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रख्यात वैज्ञानिक।	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव या समकक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।	सदस्य

टिप्पण 1: उपरोक्त अध्यक्ष को सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

टिप्पण 2. सदस्य उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नत या उन्नयन किया जाना है।

2.3 विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति के लिए संरचना (वैज्ञानिक 'जी' के पद पर स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन पर विचार करने हेतु):

1.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।	अध्यक्ष
2.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव या उनके प्रतिनिधि जो वेतन मैट्रिक्स (182200-224100 रुपये) में स्तर-15 से नीचे के न हों।	सदस्य
3.	संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रख्यात वैज्ञानिक।	सदस्य
4.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसके संगठनों के अपर सचिव या समकक्ष।	सदस्य

टिप्पण 1: उपरोक्त सदस्य उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नत या उन्नयन किया जाना है।

#### अनुसूची-4

[नियम 4(9) और अनुसूची I देखें]

क. विज्ञान विधा और उससे संबंधित विषय:

क्रम संख्या	विधा	विषय
1.	भौतिक विज्ञान:	इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो विज्ञान, इंजीनियरिंग भौतिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, ऑप्टिकल संचार, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन, इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ डिज़ाइन (वेएलएसआई डिज़ाइन), सेमीकंडक्टर, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और प्रौद्योगिकी, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव और ऑप्टिकल संचार, मेकाट्रॉनिक्स।
2.	गणितीय विज्ञान	गणित, एप्लाइड गणित, संचालन अनुसंधान, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, गणित और कंप्यूटिंग, गणितीय विज्ञान। अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय जिसमें 'गणित' को मुख्य अनुशासन के रूप में उल्लेख किया गया हो।
3.	संगणिक और सूचना विज्ञान	कंप्यूटर विज्ञान, संचार, कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, सूचना विज्ञान, सूचना सिस्टम, सूचना सुरक्षा, कंप्यूटर प्रबंधन, साइबर विधि, जैव सूचना विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, सूचना विज्ञान, कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, सिग्नल प्रसंस्करण, डिजिटल संचार, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान, साइबर कानून और सूचना सुरक्षा, उन्नत नेटवर्क, कम्प्यूटेशनल विज्ञान, डेटा विज्ञान, सांख्यिकी, कम्प्यूटेशनल सांख्यिकी, सूचना विज्ञान, एप्लाइड सांख्यिकी, क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग, क्लाउड सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस सिस्टम।  अर्हता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय जिसमें मुख्य अनुशासन के रूप में 'कम्प्यूटेशनल या सूचना' का उल्लेख किया गया हो।

ब. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विधा और उसके अंतर्गत विषय:

क्रम संख्या	विधा	विषय
1.	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण, नियंत्रण प्रणाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, दूरसंचार, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, सेमीकंडक्टर, सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, मेक्ट्रॉनिक्स, नैनो सामग्री और डेटा विज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी।  योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक अनुशासन जो मुख्य अनुशासन के रूप में उपरोक्त में से किसी का उल्लेख करता है।

[फा. सं. 01(01)/2026-का. III]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2026

**G.S.R. 353(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (ze) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), and in supersession of the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2017, except the posts of Legal Officer, Senior Private Secretary, Administrative Officer, Accounts and Finance Officer, Private Secretary and Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Scientific and Technical posts in the Indian Computer Emergency Response Team, a statutory body under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team, Scientific and Technical Posts, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Electronics and Information Technology;

(b) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

- (c) "Scheme" means the Revised Flexible Complementing Scheme as issued by the Department of Personnel and Training, *vide* Office Memorandum No. AB-14017/41/2013-PP(RR), dated the 13<sup>th</sup> March, 2024; and  
 (d) "scientific post" means a post as defined in the Scheme.

3. Name, number of posts, classification and level in the pay matrix. – (1) The name, number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified as under: -

Sl. No	Name of posts	Classification	Number of posts	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist 'F'	Equivalent to group 'A' post in the Central Government	08 (2026) * * Subject to variation dependent on workload.	Level -13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600).
2.	Scientist 'E'		11 (2026) * * Subject to variation dependent on workload.	Level -13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).
3.	Scientist 'D'		30 (2026) * * Subject to variation dependent on workload.	Level -12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).
4.	Scientist 'C'		77 (2026) * * Subject to variation dependent on workload.	Level - 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).
5.	Scientist 'B'		120 (2026) * * Subject to variation dependent on workload.	Level -10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

Note: The vacancies in each grade shall be first filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the Scheme. If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the Scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same. Vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific or Technical category, i.e. Scientist 'B'. However, based on functional needs and with the approval of Competent Authority, some of these vacancies may be filled by the method of recruitment prescribed in these rules, for the posts above entry level, based on the level of the vacancy and commensurate with the higher qualifications and skills of individual candidates within the overall sanctioned strength.

4. Method of Recruitment. - The method of recruitment to the said posts, qualifications, and other matters relating thereto shall be as under: -

- (1). The posts of Scientists 'B' to 'G' shall be selection posts.
- (2). Method of recruitment for each post or each case of Scientist 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' shall be decided by the Controlling Authority.
- (3). Recruitment for the posts of Scientist 'B' shall be made either by direct recruitment or deputation (including short - term contract)/absorption as specified under Schedule I and Schedule II to these rules.
- (4). Recruitment for the posts of Scientists 'C', 'D', and 'E' shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short - term contract)/absorption as specified in Schedule I and Schedule II to these rules.
- (5) Recruitment for the post of Scientists 'F' shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short - term contract)/absorption as specified in Schedule I and Schedule II to these rules.
- (6) Recruitment to the post of Scientist 'G' shall be made through promotion or upgradation under the Scheme.
- (7) In the case of Scientists 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' and 'G', the appointing authority will be Minister-in-Charge.
- (8) The approval of Appointment Committee of Cabinet is mandatory in case of appointment or promotion to the post carrying pay in level 14 in the pay matrix (Rs. 144200- 218200) or above.
- (9) The field of essential educational qualifications and experience for each post;- (i) in each case of direct recruitment to the post of Scientist 'B', and (ii) in each case of direct recruitment or deputation (including short-term contract) to the posts of Scientist 'C', 'D', 'E' and 'F' shall be decided by the Controlling Authority, keeping in view of the availability of Scientists of different disciplines. Provided that further requirement of Scientist in a particular discipline and such shall be chosen from the list of disciplines mentioned in Schedule IV of these rules.

(10) Ex-serviceman may be recruited on re-employment basis in accordance with the orders by the Central Government from time to time.

4. Promotion or upgradation. - (1) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' upto Scientist 'G' shall be as specified under the Scheme.

(2) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' upto Scientist 'G' shall be as per the minimum residency period indicated below and in compliance with other provisions specified in the Scheme.

Level in pay matrix	Designation	Minimum Residency Period linked to Performance
Level-10	Scientist 'B'	Nil
Level-11	Scientist 'C'	Three years as Scientist- 'B'
Level-12	Scientist 'D'	Four years as Scientist – 'C'
Level-13	Scientist 'E'	Four years as Scientist – 'D'
Level-13A	Scientist 'F'	Five years as Scientist – 'E'
Level- 14	Scientist 'G'	Five years as Scientist – 'F'

(3) There shall be two level of assessment under the Scheme, namely, Level-1 Screening (Internal Screening Committee) and Level-2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review Committee), as specified in Schedule III.

(4) The assessment shall be done twice in a year and cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut-off dates of assessment such as 1<sup>st</sup> January or 1<sup>st</sup> July, as the case may be, and have earned or will earn number of Annual Confidential Reports or Annual Performance Appraisal Reports equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for assessment under the Scheme.

(5) Scientist who does not qualify either in Level-1 Screening or Level-2 Screening shall be re-assessed only after one year when they earn at least one more Annual Performance Appraisal Report and Annual Work Report and such re- assessment would again entail Level-1 and Level-2 Screening and not commence from the stage where the Scientist failed to qualify.

(6) The assessment process under the Scheme for promotion or upgradation to the next grade shall be conducted only thrice, and thereafter, the scientist shall be covered under Modified Assured Career Progression guidelines as approved for Central Government civilian employees and the scientist who has been granted any grade under Modified Assured Career Progression may be considered for next grade.

(7) The period of service of Scientists or Technical experts doing management or administrative work shall not be counted for promotion or upgradation under the Scheme and Scientists or Technical experts doing exclusively management or administrative work shall not be considered for promotion or upgradation under the Scheme and they shall only be given benefit of upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme.

(8) The date of promotion or upgradation of Scientists recommended for promotion or upgradation to the next higher grade under the Scheme shall be the date on which the Competent Authority approved the promotion or upgradation and officers on leave or deputation outside the organisation shall be given promotion or upgradation only with effect from the date they rejoin or return to the parent cadre.

(9) There shall be no retrospective promotion or upgradation.

(10) The field experience shall require, in research and development or experience in implementation of scientific projects, of atleast two years for promotion or upgradation to Scientist 'F' and five years for promotion or upgradation to Scientist 'G' shall be essential.

(11) Treatment of period of leave, period spent on deputation or Foreign Service etc. to another scientific post, which helps a scientist to acquire scientific experience shall count towards of minimum residency period.

(12) Anything not mentioned in these rules shall be governed by provisions of the Scheme.

6. Annual Performance and Appraisal Reports and Annual Work Reports- The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

7. Probation. - (1) The period of probation for Scientists appointed to the grade of Scientist 'B', and Scientist 'C' by direct recruitment shall be two years and one year for Scientists appointed to the grade of Scientist 'D', 'E' and 'F' by direct recruitment:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Scientists shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies.

(3) During the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that a Scientist is not fit for permanent appointment, the Central Government may discharge or revert the Scientist to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Scientists may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, employees of the service shall be governed by the instructions issued by the Central Government.

8. Confirmation. - Confirmation of scientific posts appointed through direct recruitment shall be done by the Controlling Authority on the recommendations of Departmental Confirmation Committee, the composition of which shall be as follows:

- a) Director General, Indian Computer Emergency Response Team ; - Chairperson.
- b) Two Scientists 'G' from Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology or its organisation: - Members.
- c) Indian Computer Emergency Response Team, Head (Personnel Division):- Member.

9. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Liability of officers to serve in India and outside. - (1) Officers appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India and outside.

(2) Officers appointed under these rules shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time and an Officer detailed for training or course, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training, if, for any reason, during the training, or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

11. Training. - An officer appointed under these rules on direct recruitment basis shall compulsorily undergo training programme for a period specified by the Ministry of Electronics and Information Technology or Indian Computer Emergency Response Team and no officer shall be cleared for his probation period without completing such training programme.

12. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Other Conditions of service. – Other conditions of service of the officers and employees of the Indian Computer Emergency Team, for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to similar category or level of officers and employees of the Central Government.

### SCHEDULE I

[See rule 4(2) and Rule 4(4)]

#### A. Direct Recruitment

##### (I) Educational and Other Qualifications required for Direct Recruits

###### (a) Essential:

Master's degree in Physical Sciences or Mathematical Sciences or Computational and Information Sciences or equivalent as specified in clause (A) of Schedule IV from a recognised University or Institute;

Or

Bachelor's degree in Engineering or Technology (minimum four-year degree course) or equivalent as specified in clause (B) of Schedule IV from a recognised University or institute;

###### (b) Desirable:

Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in clause (A) and clause (B) of Schedule IV.

##### (II) Experience:

Sl. No.	Name of post	Minimum relevant experience required for recruitment
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'B'	-
2.	Scientist 'C'	Four years in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
3.	Scientist 'D'	Eight years in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
4.	Scientist 'E'	Twelve years in Research and Development in industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
5.	Scientist 'F'	i.eighteen years in Research and Development in industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both; ii. five years' experience of evolving, managing and directing major Programmes under any branch of sciences; and (iii) published research work of high standard.

Note: The period spent on obtaining minimum essential qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining Doctorate degree (in the field of educational qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the Doctorate degree and subject a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing Doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) or more than two years during the same period spent on obtaining Doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the Doctorate degree.

##### III. Age- limit. – The upper age - limit for direct recruitment in each category of post shall be as under: -

Sl. No.	Name of the post	Upper age- limit not exceeding
(1)	(2)	(3)
(i)	Scientist 'B'	30 years
(ii)	Scientist 'C'	35 years
(iii)	Scientist 'D'	40 years

(iv)	Scientist 'E'	45 years
(v)	Scientist 'F'	50 years:

Provided that -

- (i) there shall be age relaxation in respect of the Scientists already working on regular basis in the Indian Computer Emergency Response Team as per the extant rules in vogue from time to time in the Central Government;
- (ii) the Central Government may relax the upper age-limit for all categories of posts in case of highly experienced candidates in specialised scientific areas.
- iii. the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim and Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh), Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract) absorption: In case of recruitment by deputation (including short-term contract)/absorption, grades from which the deputation (including short-term contract)/absorption to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organisations, Universities or recognised research institutions in India or abroad,-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) having the experience required in the post on a regular basis as stated against the specific post :-

Sl. No.	Name of post	Minimum relevant experience required for recruitment by deputation
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'C'	Three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the present cadre or department.
2.	Scientist 'D'	Four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the present cadre or department.
3.	Scientist 'E'	Four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the present cadre or department.
4.	Scientist 'F'	Five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent in the present cadre or department.

(iii) possessing the educational qualifications and experience as specified for direct recruits in clause A of (I and IV) of this Schedule;

Note 1: The period of deputation, including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years, which may be extended further with the approval of the Central Government.

Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under the Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the *ex-cadre* post for which they are not the feeder grade officers, and similarly deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme or any other Scientific and Technical Personnel Policy in vogue.

Note 3: The maximum age- limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

#### Schedule II

Screening and Selection Process (For direct recruits and deputation (including short -term contract)/absorption

A. Screening Committee.- The Screening Committee for direct recruitment or deputation (including short-term contract) /absorption shall consist of a Chairperson and two Members who shall be nominated by the Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology and the authority to accept the recommendations of the Screening Committee

shall be Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology and only the screened-in candidates shall be eligible for the next level of recruitment.

B. Departmental Selection Committee. - The Departmental Selection Committee for direct recruitment or deputation (including short term contract)/absorption and its composition shall be as under:-

(i) For recruitment to the post of Scientist 'F':

(i)	Scientist –H or equivalent from Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation or Council for Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or National Technical Research Organisation or Scientific University	Chairperson
(ii)	Scientist 'G' or equivalent officer from Industry or Public Sector Undertaking in relevant domain	Member
(iii)	Representative from Academic Institution of the Indian Institute of Technology or Indira Gandhi Open University or Scientific Technical University in relevant domain not below the level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200)	Member
(iv)	One Member of the level of Scientist 'G' or equivalent from other Scientific Government Department	Member
(v)	One Member of the level of Scientist 'G' or equivalent from Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology or its Organisations	Member

(ii) For recruitment to the post of Scientist 'B', Scientist 'C', Scientist 'D' and Scientist 'E':

(i)	Scientist –G or equivalent from Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation or Council for Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or National Technical Research Organisation or Scientific University	Chairperson
(ii)	Scientist 'G' or equivalent from Industry or Public Sector Undertaking in relevant domain	Member
(iii)	Representative from Academic Institution of the Indian Institute of Technology or Indira Gandhi Open University or Scientific Technical University not below the level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200)	Member
(iv)	One Member of the level of Scientist 'F' or equivalent from other Scientific Government Department	Member
(v)	One Member of the level of Scientist 'F' or equivalent from Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations	Member

### SCHEDULE III

[See rule 5(3)]

Assessment process under the scheme:

1. Level-1 Screening Committee: -

1.1 Composition of Internal Screening Committee (for consideration of promotion or upgradation to the posts of Scientist 'C' and Scientist 'D'):-

1.	A senior scientist not below the level-14 in pay matrix (Rs. 144200-218200) from Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Chairperson
2.	A scientist of level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) or above in the pay matrix from Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Member
3.	A Scientist not below the level-13 A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) from Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research Development Organisation.	Member

## 1.2 Composition of Internal Screening Committee (for consideration of promotion or upgradation to the post of Scientist 'E' and Scientist 'F')

1.	An officer of level-14 in pay matrix (Rs.144200-218200) or above in pay matrix from Indian Computer Emergency Response Team or from Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Chairperson
2.	An officer of level-14 in pay matrix (Rs.144200-218200) or above in the pay matrix from from Indian Computer Emergency Response Team or /Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Member
3.	A Scientist of level-14 in pay matrix (Rs.144200-218200) or above in the pay matrix from Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research Development Organisation.	Member

## 1.3 Composition of Internal Screening Committee (for consideration of promotion or upgradation to the post of Scientist 'G')

1.	An officer of level-15 in pay matrix (Rs.182200-224100) or above in pay matrix from Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations.	Chairperson
2.	An officer of level-15 in pay matrix (Rs.182200-224100) or above in the pay matrix from Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology or its organisations	Member
3.	A Scientist of level-15 in pay matrix (Rs.182200-224100) or above in the pay matrix from Indian Computer Emergency Response Team, from Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research Development Organisation.	Member

Note 1: Chairperson and Member above shall be nominated by Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology.

Note 2: The Chairperson and Members should be one level above the post to which the upgradation or promotion is to be done.

## 2. Level-2 Screening:

## 2.1 Composition of Assessment Board (for consideration of promotion or upgradation to the post of Scientist 'C' upto Scientist 'E' otherwise than under exceptionally meritorious category):

1.	An officer not below the level-14 in pay matrix (Rs.144200-218200) from Scientific Ministries or Departments outside Indian Computer Emergency Response Team, Ministry of Electronics and Information Technology and its organisations.	Chairperson
2.	Three external experts.	Members

Note 1: The Members would be at least one level above the post to which promotion or upgradation is to be done.

Note 2: Absence of any Member from the proceedings of the Assessment Board shall not invalidate the recommendations of the said Board.

Note 3: The quorum for any meeting of the Assessment Board shall be three including the Chairperson.

2.2. Composition for Departmental Peer Review Committee (for considering the promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'F'):

1.	An officer not below level-15 in pay matrix (Rs.182200-224100) from Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology and its organisations.	Chairperson
2.	Two officers not below the level-14 in pay matrix (Rs.144200-218200) from Indian Computer Emergency Response Team or Scientific Ministries outside Ministry of Electronics and Information Technology.	Members
3.	Two eminent Scientists, specialising in the relevant field.	Members
4.	Joint Secretary or equivalent, Ministry of Electronics and Information Technology.	Member

Note 1: The Chairperson shall be nominated by Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology.

Note 2. The Members would be at least one level above the post to which promotion or upgradation is to be done.

2.3 Composition for Departmental Peer Review Committee (for considering the promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'G'):

1.	Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology.	Chairperson
2.	Two Secretaries of Scientific Ministries or Departments outside Ministry of Electronics and Information Technology or their representatives not below level -15 in pay matrix (Rs.182200-224100)	Members
3.	Two eminent Scientists, specialising in the relevant field	Members
4.	Additional Secretary, or equivalent, Ministry of Electronics and Information Technology and its organisations.	Member

Note 1: The Members would be at least one level above the post to which promotion or upgradation is to be done.

SCHEDULE IV  
[See rule 4(9) and Schedule I]

A. Science disciplines and subjects there under:

Sl. No.	Discipline	Subjects
1.	Physical Sciences:	Electronics, Applied Electronics, Electronics Science, Electronics and Communication, Radio Physics and Electronics, Nanoscience, Engineering Physics, nanotechnology, Optical Communication, Industrial Electronics, Instrumentation, Electronics and Instrumentation, Instrumentation and Control, Power Electronics, Telecommunication, Very Large Scale Integration Design, Semiconductor, Microelectronics, Embedded System and Technology, Microwave and Electronics, Microwave and Optical Communication, Mechatronics
2.	Mathematical Sciences	Mathematics, Applied Mathematics, Operations Research, Total Quality Management, Mathematics and Computing, Mathematical Sciences. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Mathematics' as the main discipline.

3.	Computational and Information Sciences	Computer Science, Communication, Computer and Networking Security, Computer Application, Software System, Software Engineering, Information Technology, Information Technology Management, Informatics, Information System, Information Security, Computer Management, Cyber Law, Bioinformatics, Remote sensing, Information Science, Computational Linguistics, Artificial Intelligence, Data Science, Cyber Security, Signal Processing, Digital Communication, Computer and Information Science, Cyber Law and Information Security, Advanced Network, Computational Science, Data Science, Statistics, Computational Statistics, Information Science, Applied Statistics, Cryptography, Machine Learning, Cloud Security, Digital Forensics, Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), Embedded Systems, Robotics and Automation, Quantum Computing, Blockchain Technology, Bioinformatics, Drone Technology, Autonomous Systems. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions 'Computational or Information' as the main discipline.
----	--	--

## B. Engineering or Technology disciplines and subjects thereunder:

Sl. No.	Discipline	Subjects
1.	Engineering or Technology	Electronics, Electronics Science, Computer Science, Computer Engineering, Software Systems, Information Technology, Software Technology, Electronics and Communication, Electronics and Telecommunication, Electronics and Electrical Communication, Electrical and Electronics, Telecommunication and Information technology, Electronics and Instrumentation, Electronics and Computer Engineering, Instrumentation and Control, Electronics and Control, Control Systems, Power Electronics, Telecommunication, Telematics, Industrial Electronics, Very Large Scale Integration Design, Artificial Intelligence, Data Science, Big Data Analytics, Semiconductor, Information Security, Cyber Security, Digital Forensics, Microelectronics, Mechatronics, Nano Materials and Data Sciences, Internet of Things (IoT), Embedded Systems, Robotics and Automation, Quantum Computing, Blockchain Technology, Bioinformatics, Drone Technology, Autonomous Systems, Machine Learning, Cloud Security, Cryptography. Any other relevant discipline with qualifying degree which mentions any of the above as the main discipline.

[F. No. 01(01)/2026-P.III]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.